न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	रामस्वरूप बनाम महावीर प्रसाद हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा क्र.नं. - 40/2021	नम्बर व अहकाम हुक्म की मैं ज
04.10.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 04/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
40 / 2021	2021 / 089	18.03.2021	04.10.2023

उनवान प्रकरण

1. रामस्वरूप पुत्र श्री शिवसहाय मृतक के बजाय :–

1 / 1. उत्तम कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप आयु 48 वर्ष

1 / 2. अनिल कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप आयु 42 वर्ष

1 / 3. शशि पुत्री स्व0 रामस्वरूप आयु 46 वर्ष

1 / 4. सुमन पुत्री स्व0 रामस्वरूप आयु 38 वर्ष

1 / 5. त्रिवेणी पत्नी स्व0 रामस्वरूप आयु 65 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम रलावता तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

—— वादीगण——

बनाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested

1. महावीरप्रसाद पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल आयु 68 वर्ष

2. अशोक कुमार पुत्र स्व0 मोहनलाल आयु 57 वर्ष

04/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

3 महेश प्रसाद पुत्र स्व0 मक्खनलाल आयु 60 वर्ष

4 विष्णु कुमार पुत्र स्व0 मक्खनलाल आयु 40 वर्ष

5 प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 मक्खनलाल आयु 37 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम रलावता तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

6 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

--प्रतिवादीगण-

उपस्थित :-

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री विजय कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पेरोकार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से।

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अंतर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के पुराने भूमि खसरा नम्बर 182 जिसके नवीन खसरा नम्बर 399, 400, 401, 402, 403 से 406 नवीन सैटलमेन्ट द्वारा बनाये गये हैं। उक्त वर्णित भूमि मे से 4 बीघा 10 बिस्वा में हिस्सा 1/2 का नामान्तकरण भजनलाल [illegible] के स्थान पर रामेश्वरलाल, मोहनलाल, मक्खनलाल, रामस्वरूप पिता भजनलाल [illegible] किया जाकर जरिए नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

सख्या 139 मे वादी के पिता का नाम शिवसहाय के स्थान पर राजस्व कर्मचारियो यथा पटवारी आदि द्वारा सहवन से भजनलाल दर्ज कर दिया गया है। वादी के पिता का सही नाम भजनलाल नही है बल्कि शिवसहाय हैं। उक्त उनवानी प्रकरण हाजा में दायरी दावा के समय वादपत्र मे वर्णित भूमि जो वादीगण के पिता स्व. रामस्वरूप के पिता शिवसहाय व शिवसहाय व भजनलाल जो आपस में एक ही परिवार से संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होकर उक्त वर्णित भूमि के पुराने खसरा नम्बर 182 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा के हिस्सा 1/4 के खातेदार मणीदीपसिंह पुत्र केशरसिंह व बहादुरसिंह पुत्र जवाहरसिंह के हिस्से में से साढे चार बीघा पक्की भूमि को दिनांक 17.06.1960 को शामिल में खरीद किया गया था। जिसमें वादी के दादा का भी उसके हिस्से का शामलाती रूप से खर्चा लगा था परन्तु बरवक्त विक्रय लेख में केवल मात्र भजनलाल पुत्र हनुमान का नाम ही दर्ज कराया गया था। उसके बाद बरवक्त नामान्तकरण भजनलाल के विरासत के समय कब्जा काश्त व हक हिस्सा अनुसार वादीगण के पिता रामस्वरूप को भजनलाल का पुत्र दर्ज कर दिया गया बल्कि रामस्वरूप भजनलाल का पुत्र नही होकर शिवसहाय का पुत्र था। उक्त अशुद्धि का वादीगण के पिता रामस्वरूप को कोई जानकारी नही रही थी क्योंकि वादीगण का पिता शुरू से अपनी मजदूरी व काम के सिलसिले में जोधपुर ही स्थायी रूप से निवास करता रहा हैं। उक्त वर्णित भूमि जो भजनलाल की खातेदारी में रही हैं। उसमें से वादी अपने हिस्से 1/4 पर बरवक्त प्रथम सेटलमेन्ट के समय से काबिज होकर काश्त कार्य नियमित रूप से करता चला आ रहा हैं। वादी अपने हिस्से की भूमि पर वर्तमान में भी पूर्णतया काबिज काश्त हैं। वादी अपनी मजदूरी [illegible] शुरू से ही जोधपुर निवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

करता है व वही पर रहकर अपने व अपने परिवार की आजीविका चलाकर अपना उदर पोषण करता है। इस कारण राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के गलत नाम दर्ज होने की वादी को पूर्व मे कोई जानकारी नही हो सकी है, ना ही वादी को इस बात की कभी कोई आवश्यकता ही महसुस हुयी। इस कारण राजस्व रिकार्ड मे पिता का नाम गलत दर्ज है एव साथ ही वर्तमान रिकार्ड मे रामेश्वरलाल, मोहनलाल, मक्खनलाल व वादी के पिता का नाम धन्नालाल व खतौनी संख्या 115 में जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाट व निवास स्थान भी रलावता के स्थान पर ढाणी सामोता वाली, बस्सी गलत दर्ज रिकार्ड हैं। रामेश्वरलाल, मक्खनलाल, मोहनलाल के पिता का नाम धन्नालाल नही होकर भजनलाल हैं। धन्नालाल दुर्गाप्रसाद के पिता का नाम है जो केवल मात्र दुर्गाप्रसाद के भूमि में सहखातेदार होने की वजह से केवल मात्र सहवन से व गलती से दर्ज हुआ है, जो भी दुरूस्त किये जाने योग्य हैं। खतौनी संख्या 116 में मक्खनलाल, मोहनलाल, रामेश्वर पुत्रगण धन्नालाल गलत दर्ज है साथ ही उक्त भूमि में भजनलाल पुत्र धन्नालाल का नाम पुनः दुबारा गलत दर्ज हुआ है व रामस्वरूप पुत्र धन्नालाल नही होकर रामस्वरूप पुत्र शिवसहाय दर्ज होने योग्य है व उक्त सभी का निवास स्थान (सा.) बस्सी नही होकर रलावता है एंव खतौनी संख्या 115 मे मक्खनलाल, मोहनलाल, रामेश्वर पुत्रगण धन्नालाल गलत दर्ज है। साथ ही उक्त भूमि मे भजनलाल पुत्र धन्नालाल का नाम पुनः गलत दुबारा दर्ज हुआ हैं तथा रामस्वरूप, धन्नालाल का पुत्र नही होकर शिवसहाय का पुत्र हैं तथा उक्त भूमि मे सभी की जाति ब्राह्मण के बजाय जाट व निवास स्थान सा. रलावता के स्थान पर ढाणी सा[illegible] वा[illegible]तन बस्सी गलत दर्ज किया गया है जिसे उपरोक्तानुसार शुद्धि [illegible] है। वादी के पिता का राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

रिकार्ड मे गलत नाम भजनलाल दर्ज है बल्कि अन्य समस्त सरकारी दस्तावेज यथा वोटर आईडी, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड व बैंक पास बुक सभी मे वादी के पिता का नाम शिवसहाय सही दर्ज है। दिनाक 15.02.2021 को वादी अपनी कृषि भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होने रिकार्ड देखकर वादी के पिता का नाम भजनलाल दर्ज होना बताया तब वादी ने समस्त राजस्व रिकार्ड नवीन व पुराना निकलवाया। जिसकी नकल दिनांक 19.02.2021 को प्राप्त होने पर वादी को गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावे कि घोषणा दुरूस्ती इस आशय की पारित की जावें कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 399, 400, 402, 406 कुल किता 4 कुल रकबा 4.88 हैक्टर में वादी का दर्ज नाम रामस्वरूप पुत्र धन्नालाल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र शिवसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रलावता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का व भूमि खसरा नम्बर 401, 403, 404, 405 कुल किता 4 रकबा 0.76 हैक्टर तन् ग्राम कल्याणपुरा में दर्ज वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र धन्नालाल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र शिवसहाय दर्ज किये जाने का आदेश व दोनो भूमियों में दर्ज रामेश्वर पिता प्रतिवादी नम्बर 1, मोहनलाल पिता प्रतिवादी नम्बर 2 व मक्खनलाल पिता प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 4 के पिता का गलत नाम दर्ज धन्नालाल के स्थान पर भजनलाल दर्ज किये जाने के आदेश जरिए डिक्री प्रदान कर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती फरमायी जाने की घोषणा फरमायी जावें एव खतौनी संख्या 116 में पक्षकारान की निवास स्थान ... के स्थान पर रलावता व खतौनी संख्या 115 में पक्षकारान की जाति ... व निवास स्थान ढाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

सामोतावाली तन् बरसी के स्थान पर रलावता दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भजनलाल पुत्र पन्नालाल का नाम रिकार्ड से हजफ कर उसके हिस्से की भूमि वादीगण, प्रतिवादी नम्बर 1, प्रतिवादी नम्बर 2, प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 5 के नाम दर्ज की जावे। यह वाद वास्ते उद्घोषणा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। वकील वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया था, जिस पर वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री विजय कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 की तामील करवाए चार माह से भी अधिक का समय हो चूका है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या–6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण ने साक्ष्य वादी उत्तम कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप व प्रतिवादी संख्या –1 महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल के साक्ष्य में शपथ पेत्र पेश किए। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 की ओर से श्री विजय कुमार शर्मा के द्वारा इकबाली जवाब दावा व साक्ष्य वादीगण में वादी व गवाह का शपथ पत्र पेश कर दिए जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र [illegible] निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

हमने वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर गंभीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077, भू-प्रबन्ध विभाग रिपोर्ट, नामांतकरण पंजिका ग्राम कल्याणपुरा, भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, मृत्यु प्रमाण पत्र, विक्रय लेख दिनांक 17.6.1960 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 399, 400, 402, 406 कुल किता 4 कुल रकबा 4.88 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 401, 403, 404, 405 कुल किता 4 रकबा 0.76 हैक्टर तन ग्राम कल्याणपुरा की खातेदारी पक्षकारान वादीगण के मृत्तक पिता रामस्वरूप व प्रतिवाकर्दीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 399, 400, 402, 406 कुल किता 4 कुल रकबा 4.88 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 401, 403, 404, 405 कुल किता 4 रकबा 0.76 हैक्टर में वादीगण के पिता का नाम रामस्वरूप पुत्र धन्नालाल गलत दर्ज होना प्रकट होता हैं। वादीगण के पिता के पिता अर्थात वादीगण के दादा का नाम धन्नालाल नहीं होकर शिवसहाय तथा उसकी जाति जाट नहीं होकर जाति ब्राह्मण होना तथा उसका निवास स्थान ढ़ाणी सामोता वाली तन् बस्सी नहीं होकर सा0 रलावता होना प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व [illegible] साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों व दस्तावेजात से होना प्रकट होता है। रामेश्वर पि[illegible] [illegible] पिता प्रतिवादी नम्बर 2 व मक्खनलाल पिता प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 5 के [illegible] का राजस्व रिकार्ड मे गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 04/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

नाम धन्नालाल होना जबकि इनका सही नाम भजनलाल होना प्रकट होता है। जिसे दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रतित होता है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र मे प्रतिवादीगण के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर दिए जाने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में कृषि भूमि खसरा नम्बर 399, 400, 402, 406 कुल किता 4 कुल रकबा 4.88 हैक्टर में वादी का दर्ज नाम रामस्वरूप पुत्र धन्नालाल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र शिवसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रलावता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने व कृषि भूमि खसरा नम्बर 401, 403, 404, 405 कुल किता 4 रकबा 0.76 हैक्टर तन् ग्राम कल्याणपुरा में दर्ज वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र धन्नालाल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र शिवसहाय दर्ज किये जाने व उपरोक्त दोनो भूमियों में दर्ज रामेश्वर पिता प्रतिवादी नम्बर 1, मोहनलाल पिता प्रतिवादी नम्बर 2 व मक्खनलाल पिता प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 4 के पिता के दर्ज गलत नाम धन्नालाल के स्थान पर भजनलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड उक्तानुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एंव खतौनी [illegible] खास स्थान सा. बरसी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

स्थान पर सा. रलावता व खतौनी संख्या 115 में पक्षकारान की जाति जाट के स्थान पर जाति ब्राह्मण व निवास स्थान ढाणी सामोतावाली तन् बरसी के स्थान पर सा. रलावता दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भजनलाल पुत्र धन्नालाल का नाम रिकार्ड से हजफ कर उसके हिस्से की भूमि वादीगण, प्रतिवादी नम्बर 1, प्रतिवादी नम्बर 2, प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जानें की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 04/10/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला-नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 04/10/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला-नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:12 IST
Reason: SelfAttested